राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

सं.एफ.4(6)पीईएसए नियम/विधि/पीआर/2010/1938 जयपुर, दिनांक:01.11.11

राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अधिसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में आशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अधिसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में आशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) इनका विस्तार भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में यथानिर्दिष्ट राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में होगा, सिवाय उन क्षेत्रों के जो किसी नगरपालिका द्वारा प्रशासित किए जाते हैं।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वचन.- (1) इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) **"अधिनियम" से अभिप्रेत है** राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अधिसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में आशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16);

(ii) "**ग्राम सभा**" से अभिप्रेत है कोई ग्राम सभा जो उन सभी लोगों से मिलकर बनी है, जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचन तालिका में शामिल हैं; और

(iii) "**सूक्ष्म वन उत्पाद**" से अभिप्रेत है सूक्ष्म वन उत्पाद जिसमें बांस, ब्रश काष्ठ, स्टंप, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़ें, कंद और इन्हीं के समान पादप मूल के सभी गैर-काष्ठ वन उत्पाद शामिल हैं।

(2) इन नियमों में प्रयोग किए गए परंतु परिभाषित न किए गए सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हे अधिनियम में क्रमश: निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय-II

ग्राम सभा

3. संरचना.- किसी गांव की निर्वाचन तालिका में शामिल सभी व्यक्ति उस गांव की ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

4. ग्राम सभा का सचिव.-(1) ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का सचिव होगा। ऐसी स्थिति में जहां एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभाएं हों, ग्राम पंचायत का सचिव सभी ग्राम सभाओं का सचिव होगा।

(2) ग्राम पंचायत के सचिव की अनुपस्थिति में, संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी ग्राम सभा के सचिव के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(3) संबंधित ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी एजेंसी होगी।

5. ग्राम सभा की बैठक.- (1) ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक या कार्यवाही सार्वजनिक रूप से संचालित की जाएगी।

(2) यदि ग्राम सभा की बैठक किसी बंद भवन में की जानी है तो उसके दरवाजे बंद करने या ग्राम सभा के सदस्यों के प्रवेश पर रोक लगाने का कोई

प्रावधान नहीं होगा।

(3) जहां तक संभव हो ग्राम सभा के निर्णय सर्वसम्मति से लिये जायेंगे।

टिप्पणी: सर्वसम्मति' का अर्थ है कि उपस्थित लोग या तो प्रस्ताव से सहमत हैं या तटस्थ हैं, और उनमें से कोई भी उसके विरोध में नहीं है। सर्वसम्मति के लिए बैठक की गणपूर्ति अनिवार्य है।

(4) यदि किसी बैठक में किसी मुद्दे पर आम सहमति सुनिश्चित नहीं हो पाती है, तो ऐसे मुद्दे पर एक सप्ताह या उसके बाद, जैसा ग्राम सभा द्वारा निर्णित किया जाने, होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी ।

(5) यदि दूसरी बैठक में भी सहमति नहीं बनती है, तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। गणपूर्ति के अभाव में कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा। गणपूर्ति के पूरा होने पर ही उस मुद्दे का निर्णय बहुमत से किया जा सकता है।

(6) संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी का नामनिर्देशित व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक में भाग लेगा। वह ग्राम सभा के सचिव द्वारा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त को सही रूप से अभिलेखबद्ध करने के लिए जिम्मेदार होगा। बैठक के अंत में कार्यवृत्त पढ़ा जाएगा और बैठक में उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा उसे अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस प्रकार अभिलेखबद्ध किए गए कार्यवृत्त की एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत को भेजी जाएगी।

6. गणपूर्ति.- ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की दुल संख्या का दसवां भाग होगी।

7. पीठासीन अधिकारी.-ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा की जाएगी, उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा की जाएगी। सरपंच और उप-सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजनार्थ चुना जाएगा।

8. ग्राम सभा की बैठक की तारीख और समय.- (1) सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा की बैठक आयोजित करेगा।

(2) ग्राम सभा की बैठक के दिन और समय की सूचना, साथ ही उसमें निपटाए जाने वाले कारबार का विवरण, बैठक के दिन से कम से कम 7 दिन पूर्व इस प्रकार प्रकाशित किया जाएगा:-

(i) उसे गांव के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाकर; और

(ii) गांव में ढोल बजाकर या किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा ऐसी बैठक की घोषणा करते हुए।

(3) ग्राम सभा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करती है, ग्राम सभा स्थायी रूप से बैठक की एक निश्चित तारीख (अर्थात् अंग्रेजी तारीख), समय और स्थान तय कर सकेगी और ऐसे मामले में, किसी विशिष्ट सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) तथापि, यदि ग्राम सभा प्रत्येक बैठक को अलग से नियत करने का निर्णय लेती है, या किसी दिन विशेष पर बैठक आयोजित करने का निर्णय लेती है, तो निर्णय के तीन दिन के भीतर पूरे गांव में इसकी घोषणा की जाएगी।

9. ग्राम सभा की विशेष बैठक.-(1) ग्राम सभा की नियमित बैठकों के अलावा, निम्नलिखित परिस्थितियों में इसकी विशेष बैठकें बुलाई जा सकती हैं:

(i) यदि ग्राम सभा की आम बैठक में ऐसा निर्णय लिया जाता है,

(ii) यदि पंचायत में कोई प्रस्ताव है जिस पर ग्राम सभा द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है,

(iii) ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों, जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर।

(2) उपनियम (1) के खंड (i) में उल्लिखित स्थिति को छोड़कर, सचिव, सरपंच से परामर्श करने के बाद सात दिनों के भीतर एक बैठक बुलाएगा और इसकी सार्वजनिक सूचना गांव में सार्वजनिक घोषणा एवं अन्य तरीकों से बैठक की निश्चित तारीख से 3 दिन पहले दी जाएगी:

परंतु यह कि यदि सरपंच ऐसा करने में विफल रहता है, तो सचिव बैठक बुलाएगा:

परंतु यह और कि सचिव की अनुपस्थिति या एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने की कार्रवाई के अभाव में, बैठक आयोजित करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध करने वाले लोगों में से तीन सदस्य सरपंच को सूचित कर सकते हैं और कम से कम तीन दिन का नोटिस देकर बैठक आयोजित कर सकते हैं।

(3) किसी विशेष बैठक में लिए गए निर्णयों को अगली बैठक के अलावा कहीं और चुनौती नहीं दी जाएगी और ग्राम सभा के निर्णय अंतिम होंगे।

10. ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकें.- (1) प्रत्येक ग्राम सभा अपने अधिकार क्षेत्र में अपने कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम है, लेकिन संसाधनों के प्रबंधन, सड़कों के निर्माण आदि जैसे मामलों में, जिसमें अन्य ग्राम सभाओं के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है, ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी ग्राम सभाओं की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है।

(2) ग्राम सभा की संयुक्त बैठक ग्राम सभा के नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी जैसे कि सभी ग्राम सभाएँ एक इकाई हों।

(3) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी।

(4) संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से न्यूनतम 5% सदस्यों या 10 सदस्यों, जो भी कम हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि गणपूर्ति पूरी नहीं हुई तो अगली बैठक की तारीख उसी दिन तय की जाएगी और इसकी सूचना सभी ग्राम सभाओं को दी जाएगी।

(5) निर्णय लेने के प्रक्रिया वही होगी जो एक ग्राम सभा की बैठक के मामले में होती है।

(6) ग्राम पंचायत में सरकारी कार्यक्रमों के लिए क्षेत्रवार आवंटन संयुक्त बैठकों में किया जाएगा जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय-III

शांति, सुरक्षा और विवाद समाधान

11. शांति कायम रखने और विवाद समाधान में ग्राम सभा की भूमिका.- (1) सामुदायिक परंपराओं और भारत के संविधान, विधि और प्रासंगिक नियमों की भावना को ध्यान में रखते हुए, अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना ग्राम सभा का मौलिक कर्तव्य होगा।

(2) ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निम्नलिखित कार्रवाई/कार्य करने के लिए सक्षम है:

(i) शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना जहां कोई भय न हो,

(ii) प्रत्येक नागरिक के आत्मसम्मान की रक्षा करना तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाये रखना

(iii) विवादों का समाधान करना।

12. शांति समिति.- (1) ग्राम सभा बीस सदस्यों वाली एक शांति समिति का गठन कर सकेगी, जिसमें कम से कम 33% महिलाएं और न्यूनतम 50% अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे।

(2) शांति समिति पड़ोसी गांवों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पड़ोसी गांवों के सामान्य हित और परस्पर निर्भरता के मामलों में, कोई भी कार्रवाई पड़ोसी गांवों के परामर्श पर आधारित होगी।

(3) ग्राम सभा शांति समिति को निम्नलिखित कार्य करने की शक्तियां प्रदान करेगी:

(i) गांव की शांति भंग करने वाली घटनाओं की जांच करना और निर्णय के लिए ग्राम सभा को रिपोर्ट करना।

(ii) शांति भंग करने वालों को परामर्श देना और मध्यस्थता करना।

(iii) जहां आवश्यक हो, तत्काल कार्रवाई करना और बाद में ग्राम सभा को रिपोर्ट करना।

(iv) ग्राम सभा की मंजूरी से उचित कार्रवाई के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट/अनुरोध प्रस्तुत करना।

13. अंधविश्वास, जादू-टोने आदि से संबंधित मामले.- (1) अंधविश्वास जादू-टोने से संबंधित मामलों पर ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

(2) अंधविश्वास के मामलों पर ग्राम सभा की लगातार दो बैठकों में चर्चा की जाएगी ताकि सभी को इस विषय पर सोचने का मौका मिले।

(3) जब ऐसे मामलों पर चर्चा की जाती है, तो ग्राम सभा का कोई भी सदस्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति के लिए जिला कलेक्टर से अनुरोध कर सकता है। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, जिला कलेक्टर एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा।

(4) पर्यवेक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम सभा को मामले के बारे में तथ्यात्मक और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करे।

14. विवाद समाधान की प्रक्रिया - (1) किसी विवाद को सुलझाते समय ग्राम सभा या शांति समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी परंपरा के अनुसार कार्रवाई करेगी।

(2) किसी भी विवाद की सुनवाई केवल सार्वजनिक रूप से होगी। अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले, सभी संबंधित पक्षों के व्यक्तियों और कार्यवाही में सक्रिय रूप से शामिल अन्य लोगों, यदि कोई हो, को अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

(3) सभी लोगों के विचार सुनने के बाद, शांति समिति, ग्राम सभा को आगे की कार्रवाई के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

(4) ग्राम सभा के सभी सदस्यों को शांति समिति के निष्कर्षों और प्रस्तावों पर अपने विचार देने का अवसर मिलेगा।

(5) ग्राम सभा के विचार प्राप्त करने के बाद, शांति समिति, उचित संशोधन, यदि कोई हो, करने के बाद अपना निष्कर्ष और प्रस्ताव ग्राम सभा के समक्ष फिर से प्रस्तुत करेगी और सर्वसम्मति या बहुमत मत, जैसा भी मामला हो, के आधार पर उसे ग्राम सभा के निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(6) यदि शांति समिति के निष्कर्षों या प्रस्तावों को ग्राम सभा में बहुमत नहीं मिलता है, तो पक्षकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के बाद, शांति समिति मामले को फिर से ग्राम सभा की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी और ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।

(7) किसी भी विवाद के समाधान का मुख्य उद्देश्य ऐसे विवाद को पूर्णतया समाप्त कर गांव में सौहार्द का माहौल बनाना होगा।

15. विवाद समाधान के बारे में ग्राम सभा के निर्णय से असंतुष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही.- यदि ग्राम सभा के किसी निर्णय से प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और अपराध हुआ है, और प्रभावित व्यक्ति पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो ऐसे मामलों में, संबंधित अधिकारी निर्णय के संबंध में पूरी जानकारी के लिए ग्राम सभा या शांति समिति से संपर्क करेंगे।

16. पुलिस की भूमिका- (1) यदि स्थानीय पुलिस को किसी ग्राम सभा के क्षेत्र में शांति भंग होने की संभावना के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, तो ऐसे मामलों को छोड़कर, जिनमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है, संबंधित पुलिस अधिकारी मामले की विस्तृत रिपोर्ट ग्राम सभा या शांति समिति को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में मध्यस्थता या किसी व्यक्ति के विरुद्ध निवारक उपाय केवल ग्राम सभा के परामर्श से ही किए जाएंगे।

(2) यदि पुलिस को किसी अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त होती है तो गंभीर अपराध या किसी असाधारण स्थिति को छोड़कर, जहां पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो, थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसकी एक प्रति ग्राम सभा या शांति समिति को भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो ग्राम सभा की विशेष बैठक या आगामी बैठक में मामले को सुलझाने का प्रयास किया जायेगा।

टिप्पणी: वे अपराध गंभीर माने जाएंगे जिनके लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 में 2 या अधिक वर्ष के दंड का प्रावधान है।

अध्याय-IV

समुदाय संसाधनों का प्रबंधन

17. ग्राम सभा समुदाय संसाधनों की रक्षा करेगी.- (1) ग्राम सभा अपने क्षेत्र में स्थित सामुदायिक संसाधनों के साथ-साथ उन संसाधनों की सुरक्षा और परिरक्षा करने में सक्षम है जिन पर उसे स्थानीय परंपरा और प्रासंगिक विधियों के अनुसार जल, भूमि और खनिज सहित पारंपरिक अधिकार प्राप्त हैं। इस भूमिका का पूर्ण निर्वहन करने के लिए ग्राम सभा उनके प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा सकती है।

(2) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो कि :

(i) आजीविका के साधन कायम रहें,

(ii) लोगों के बीच असमानता न बढ़े,

(iii) संसाधन कुछ लोगों तक ही सीमित न रहें, और

(iv) स्थिरता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है।

अध्याय-V

भूमि का अर्जन, भूमि के अलगाव का निवारण करने की शक्तियां और धन उधारी पर नियंत्रण

18. ग्राम सभा से परामर्श.- (1) जब सरकार किसी अधिनियम के अधीन भूमि अधिग्रहण पर विचार करती है, तो सरकार या संबंधित प्राधिकारी को प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में ग्राम सभा को प्रस्तुत करनी होगी: -

(i) परियोजना के संभावित प्रभाव सहित प्रस्तावित परियोजना की पूरी रूपरेखा;

(ii) प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण;

(iii) गांव में नए लोगों के बसने की संभावना और क्षेत्र और समाज पर संभावित प्रभाव; और

(iv) गांव के लोगों के लिए प्रस्तावित भागीदारी, मुआवजे की राशि, नौकरी के अवसर।

(2) पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद संबंधित ग्राम सभाएं संबंधित अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जांच करने के लिए बुलाने के लिए सक्षम होंगी। बुलाये गये ऐसे सभी व्यक्तियों को बिन्दुवार स्पष्ट एवं सही जानकारी देना अनिवार्य होगा।

(3) ग्राम सभा सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद विस्थापित व्यक्तियों के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास योजना के संबंध में सिफारिश करेगी।

(4) ग्राम सभा की सिफारिश पर सरकार या संबंधित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

(5) यदि सरकार या संबंधित प्राधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो वह मामले को पुनर्विचार के लिए ग्राम सभा को फिर से भेजेगा।

(6) यदि दूसरे परामर्श के बाद, सरकार या संबंधित प्राधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशों के विरुद्ध कोई आदेश पारित करता है, तो ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा।

(7) औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में, ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित होने वाली सभी ग्राम सभाओं से परामर्श किया जाएगा।

19. भूमि अलगाव का निवारण.- ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजातियों की कोई भी भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को हस्तांतरित न कर दी जाए।

20. बेदखली की शक्तियां.- अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित भूमि से अतिक्रमियों को सरसरी तौर से बेदखल करने के लिए, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम

संख्यांक 15) के उपबंधों के अनुसार पंचायत समिति द्वारा राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 183 ख के अंतर्गत तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

21. धन उधारी पर नियंत्रण.- पंचायत/पंचायत समिति राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम संख्यांक 1) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में धन उधारी के व्यवसाय को प्रतिबंधित और विनियमित करने के लिए सक्षम होगी।

22. सहायक रजिस्ट्रार के रूप में पंचायत की शक्तियां.- (1) ग्राम पंचायत राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम संख्यांक 1) के उपबंधों के अनुसार सहायक रजिस्ट्रार की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(2) किसी भी अनियमितता या नियमों का पालन न करने की स्थिति में, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जुर्माना लगाने या लाइसेंस रद्द करने या अदालत में मामला दायर करने, जैसा भी मामला हो, की सिफारिश करते हुए पंचायत समिति को एक लिखित शिकायत भेजेगी। ग्राम सभा की अनुशंसा संबंधित पंचायत समिति के लिए बाध्यकारी होगी।

23. रजिस्ट्रार के रूप में पंचायत समिति की शक्तियां.- पंचायत समिति राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम संख्यांक 1) के उपबंधों के अंतर्गत रजिस्ट्रार की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

24. रजिस्ट्रार जनरल के रूप में जनजातीय क्षेत्र विकास आयुक्त की शक्ति.- जनजाति क्षेत्र विकास आयुक्त राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम संख्यांक 1) के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय-VI

लघु वन उपज

25. लघु वन उपज.- ग्राम सभा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन इसके

अधिकार क्षेत्र में आने वाले लघु वन उत्पादों का स्वामी होगी:

(i) लघु वन उपज के स्वामित्व में क्षेत्र में पाए जाने वाली भूमि, पेड़ों और/या वन्य जीवन का स्वामित्व शामिल नहीं है;

(ii) कोई भी व्यक्ति वन भूमि के किसी भी हिस्से से घास नहीं काटेगा जो घास काटने के लिए बंद किया गया है;

(iii) 1 अक्तूबर से 31 जनवरी को छोड़कर वर्ष की किसी भी अवधि में वन भूमि से घास नहीं काटी जाएगी;

(iv) कोई भी व्यक्ति जंगल के ऐसे हिस्सों को छोड़कर अन्य में मवेशियों को नहीं चराएगा जो प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा समय-समय पर चरने के लिए खोले जाते हैं;

(v) कोई भी व्यक्ति लघु वन उपज के स्वामित्व अधिकार के फलस्वरूप किसी भी खड़े पेड़ को नहीं गिराएगा, उखाड़ेगा, टैप नहीं करेगा, बेल्ट नहीं लगाएगा, आरी नहीं चलाएगा या परिवर्तित नहीं करेगा;

(vi) कोई भी लघु वन उपज सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले वन भूमि से नहीं हटाई जाएगी जब तक कि प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा इसकी विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो;

(vii) कोई भी व्यक्ति हर साल 15 जुलाई से 30 सितंबर की अवधि के दौरान वन भूमि के 200 मीटर के भीतर आग नहीं जलाएगा, न ही रखेगा या ले जाएगा, सिवाय इसके कि प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा इसके लिए विशेष रूप से अनुमति दी गई हो;

(viii) मुख्य वन्य जीव वार्डन की विशिष्ट अनुमति के बिना संरक्षित क्षेत्रों, अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षण रिजर्वों, सामुदायिक रिजर्वों या महत्वपूर्ण बाघ आवासों से कोई लघु वन उपज नहीं हटाई जाएगी।

26. लघु वन उपज का संग्रहण और विपणन.- (1) बांस और तेंदु पत्ता

के अलावा लघु वन उपज का संग्रहण और विपणन निम्न प्रकार से किया जाएगा:

(i) ग्राम सभा ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समिति (वीएफपीएमसी) या राजस संघ या इस प्रयोजन के लिए गठित सहकारी समितियों के माध्यम से अपने क्षेत्र से सभी लघु वन उपज का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ii) ग्राम सभा पंचायत और वन विभाग के साथ वीएफपीएमसी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार लघु वन उपज का संग्रहण सुनिश्चित करेगी;

(iii) ग्राम सभा अपने क्षेत्र से लघु वन उपज के विपणन और उसके लाभों को इष्टतम बनाने के लिए उत्तरदायी होगी;

(iv) प्राप्त निवल राजस्व ग्राम सभा का होगा। ग्राम सभा सामुदायिक कार्य संचालित करने और लघु वन उपज के उत्पादन में संवृद्धि करने के प्रयोजनार्थ इस राजस्व का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी;

(v) ग्राम सभा अपने क्षेत्र से एकत्रित लघु वन उपज को राजस संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राजस संघ को बेचने का निर्णय ले सकती है; और

(vi) राजस संघ द्वारा लघु वन उपज की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए गठित समिति में पंचायती राज संस्था का प्रतिनिधित्व होगा।

(2) बांस का संग्रहण और विपणन निम्नानुसार किया जाएगा:

(i) फूल आने के समय बांस के डंठल को नहीं काटा जाएगा। बीज गिराने के बाद ही उन्हें ग्राम सभा की अनुमति से काटा जा सकता है;

(ii) बांस के प्रत्येक झुरमुट में, कम से कम 3 या 4 पुराने, मजबूत और अच्छी तरह से विकसित बांस को बिना काटे

छोड़ दिया जाएगा और झुरमुट की बाहरी परिधि के साथ समान दूरी पर रखा जाएगा;

(iii) बांस के प्रकंदों को खोदना और निकालना प्रतिबंधित होगा;

(iv) बांस के गुच्छों को जमीन से 2 इंच से कम या 6 इंच से अधिक ऊपर नहीं काटा जाएगा, भीड़भाड़ वाले गुच्छों को छोड़कर, जहां कटाई सर्वोत्तम संभव बिंदु पर की जा सकती है;

(v) बांस के झुरमुटों को काटने में तेज औजारों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि बांस के झुरमुटों को फटने से बचाया जा सके;

(vi) ग्राम सभा के लिए वन विभाग द्वारा गैर-विनाशकारी और टिकाऊ आधार पर बांस की कटाई वैज्ञानिक तरीके से की जाती रहेगी;

(x) जहां भी वीएफपीएमसी मौजूद है और उसने अनुसूचित क्षेत्र में बांस रोपण का कार्य किया है, वे वन विभाग की देखरेख में वैज्ञानिक तरीके से इसकी कटाई कर सकते हैं और बाजार का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए नीलामी के लिए उपज को वन विभाग के डिपो में ले जा सकते हैं;

(xi) कटाई और परिवहन पर किए गए खर्चों में कटौती करने के बाद, वन विभाग निवल आय को संबंधित पंचायत को हस्तांतरित कर देगा, जिसके क्षेत्र से बांस की कटाई की गई है; और

(xii) बांस की कटाई से प्राप्त राजस्व ग्राम सभा द्वारा समुदाय के विकास और बांस के पुनर्जनन पर खर्च किया जाएगा।

(3) तेंदु पत्ते का संग्रहण और विपणन निम्न प्रकास से किया जाएगा:

(i) तेंदूपत्ता का व्यापार राजस्थान तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 5) द्वारा शासित होता है;

(ii) वन विभाग द्वारा तेंदू पत्ते का संग्रहण राजस्थान तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 5) के अनुसार जारी रहेगा;

(iii) तेंदू पत्ता संग्रहण से प्राप्त निवल राजस्व उन संबंधित पंचायतों को उसके क्षेत्र से तेंदूपत्ता उत्पादन के अनुपात में हस्तांतरित किया जाएगा जिनके क्षेत्र से तेंदूपत्ता संग्रहण किया गया है;

(iv) विभिन्न ग्राम सभा क्षेत्रों से एकत्रित तेंदूपत्ता के विवरण वन विभाग द्वारा राज्य सरकार को उस दर, जिस पर प्रत्येक वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहित किया गया है, पर सलाह देने के लिए वन विभाग द्वारा की गठित सलाहकार समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई प्रक्रिया के अनुसार संकलित किए जाएंगे;

(v) ग्राम सभा इस राजस्व का 50% अवसंरचना के विकास के लिए और शेष 50% का उपयोग अपने क्षेत्र में तेंदूपत्ता के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक कार्यों पर करेगी; और

(vi) वन विभाग की सलाहकार समिति में आवश्यक रूप से पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिनिधित्व होगा।

अध्याय-VII

लघु खनिजों पर नियंत्रण

27. सिफारिशें करने का प्राधिकार.- किसी लघु खनिज के संबंध में कोई तात्विक छूट प्रदान को प्रदान करने के लिए सिफारिशें निम्न द्वारा की जाएंगी:-

(क) संबंधित ग्राम सभा, जहां क्षेत्र एक ही ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है; या

(ख) संबंधित पंचायत समिति, जहां क्षेत्र एक से अधिक ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आता है; या

(ग) संबंधित जिला परिषद, जहां क्षेत्र एक से अधिक पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

28. सिफारिश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) संबंधित खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता राजस्व मानचित्र पर अंकित क्षेत्र की योजना और विवरण रिपोर्ट के साथ अनुशंसा प्राधिकारी को प्रस्ताव भेजेंगे जिसमें क्षेत्र के कोने के स्तंभों में से एक की दूरी और संबंध का उल्लेख होगा और आसपास के क्षेत्र में एक निश्चित संदर्भ बिंदु होगा, जैसा कि ऊपर नियम 27 में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) अनुशंसा प्राधिकारी प्रस्ताव पर विचार करेगा और प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश सूचित करेगा:

परंतु यह कि अनुशंसा प्राधिकारी संबंधित खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता को दर्ज किए जाने वाले और लिखित रूप में सूचित किए जाने वाले कारणों से प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकेगा।

अध्याया-VIII

मद्यपान नियंत्रण

29. किसी नशीले पदार्थ के विक्रय और उपभोग को विनियमित करना.-

(1) ग्राम सभा क्षेत्र में अवैध शराब के विनिर्माण या विक्रय में शामिल पहचाने गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए व्यक्तियों के मध्य संयम को प्रोत्साहित करने या शराब की दुकानों के स्थान को अन्य चिह्नित स्थानों पर स्थानांतरित करने के प्रयोजनार्थ संकल्प अंगीकृत करेगी। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संकल्प की एक प्रति जिला कलेक्टर और आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को भेजी जाएगी।

(2) कलेक्टर संकल्प की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी, जो तहसीलदार या किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, को नियुक्त करेगा। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को देगा जो अपनी टिप्पणियों के साथ इसे राजस्थान के आबकारी आयुक्त, उदयपुर को भेजेगा।

(3) आबकारी आयुक्त, राजस्थान ग्राम सभा के क्षेत्र में प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा और जिले के कलेक्टर के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।

(4) ग्राम सभा जन्म, नामकरण संस्कार, सगाई, विवाह, विवादों के निपटारे, मृत्युभोज जैसे विशेष अवसरों पर, होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर और जनजातीय समुदाय की परंपरा और रीति-रिवाजों के मद्देनजर ऐसे अन्य सामाजिक अवसरों के दौरान ग्राम सभा के निवासी द्वारा देशी शराब रखने की सीमा निर्धारित करने में सक्षम होगी। ग्राम सभा इस प्रकार कब्जे में रखी जाने वाली स्थानीय शराब की मात्रा और कब्जे की तारीखवार अवधि निर्दिष्ट करेगी। सामान्य अनुमति नहीं दी जाएगी।

30. महिलाओं के विचार महत्वपूर्ण होंगे.- ग्राम सभा में उपस्थित महिला सदस्यों के विचार ग्राम सभा के विचार माने जायेंगे तथा उन विचारों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

31. जुर्माने और शास्तियां- ग्राम सभा समाज में मद्यपान की बुराइयों पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने, शराब पीकर महिलाओं के साथ झगड़ा करने, पत्नियों को पीटने आदि में शामिल व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकेगी।

32. कठिनाइयों का निराकरण.- यदि इन नियमों के उपबंधो के प्रभावी कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार आदेश जारी करके ऐसे निर्देश देगी जो अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हों और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

33. निरसन और व्यावृत्ति.- राजस्थान पचायती राज (उपबंधों का अधिसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में आशोधन) नियम, 2002 एतदद्वारा निरसित किए जाते है:

परंतु यह कि इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अंतर्गत की गई सभी कार्रवाइयां और किए गए आदेश इन नियमों के अंतर्गत की गई और किए गए माने जाएंगे।

सरकार के आदेश द्वारा,

(किशन लाल बडेतिया)
सरकार के उपसचिव

प्रतिलिपि-

1. राजस्थान के महामहिम राज्यपाल, जयपुर के प्रधान सचिव
2. माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर, प्रधानसचिव
3. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र (असाधारण) भाग 4 (ग), (जीएसआरआई) उप प्रभाग-1 में प्रकाशन हेतु
4. माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर के निजी सचिव
5. अपर सचिव, मुख्य सचिव, पीएचईडी एवं जल संसाधन/वन/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर के निजी सचिव
6. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के निजी सचिव
7. प्रधान सचिव, गृह/राजस्व/खान/कृषि/शिक्षा/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/महिला बाल विकास/टीएडी/पशुपालन, राजस्थान, जयपुर के निजी सचिव
8. सचिव, वित्त (राजस्व)/ग्रामीण विकास/पंचायती राज/वन राजस्थान, जयपुर के निजी सचिव
9. आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के निजी सचिव
10. प्रधान सचिव. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के निजी सचिव।
11. मुख्य संरक्षक वन (तेन्दूपत्ता), राजस्थान, जयपुर
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/सिरोही/उदयपुर
13. खण्ड विकास अधिकारी। बांसवाड़ा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/सिरोही/उदयपुर की सभी पंचायत समितियां
14. गार्ड फ़ाइल

सरकार के उपसचिव